तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/2/26	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ख०नं० 211/1 के स्थान पर नक्शा 1952 के नम्बर को गलत अंकित करते हुए बिना किसी अधिकार के गलत तौर की तरमीम 211/4 में करते हुए प्रतिवादिगण की ओर से इस नम्बर के हिस्से को हटा दिया है तथा प्रतिवादिगण की ओर की गई दिशा में बदलाव कर जो तरमीम की गयी है उसको दुरुस्त कराया जावे तथा मौजूदा नक्शे की तरमीम को निरस्त किया जावे। इसके अतिरिक्त मौके पर स्थानीय नक्शे के क्रमांक गलती लगते हुए उपखण्ड की ओर से ख०नं० 211/1 की पैमाइश भी कराई जावे। पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस का मनन व पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार (भू०अभि०) तहसील मालपुरा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि ख०नं० 211/1 व 211/4 खेतों की तरमीम हो रही है खेतों की तरमीम अलग-अलग है। तरमीम संशोधन किया जाना उचित नहीं है। अतः तहसीलदार, (भू०अभि०) मालपुरा रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली दैनन्दिन शुरुआत होकर नम्बर से इस मेल्स दाखिल दफ्तर हो। आदेश तुरन्त अमल	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:12:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)